पत्र संख्या/ 956 /आई0टी0/जी0एस0टी0 टर्नओवर/2020–21/2021052 वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनॉक:01 जनवरी, 2021
फरवरी

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या– आई0टी0–जी0एस0टी0 टर्न ओवर मार्किंग/2020–21/593 दिनांक 14.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधि अनुभाग, मुख्यालय से जारी पत्र संख्या– 430 दिनांक 19.11.2018 के आधार पर प्रत्येक खण्ड में तैनात डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेण्ट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारी के मध्य पंजीकृत व्यापारियों का आनलाइन विभाजन टर्नओवर के आधार पर किए जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे।

परिपत्र दिनांक 14.10.2020 से निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित समयावधि में कोई GSTIN संबंधित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी की लॉग–इन आई0डी0 पर ट्रांसफर किया जा सकता है। नियत समय–सीमा समाप्त होने के पश्चात यह स्थानान्तरण मुख्यालय स्तर से ही संभव है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इस प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय–सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त फील्ड कार्यालयों से अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह संज्ञान में आया कि, उक्त प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि मुख्यालय के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन नहीं किया गया है, यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है।

उक्त समग्र तथ्यों के दृष्टिगत परिपत्र दिनांक 14.10.2020 से निर्धारित प्रक्रिया में निम्नवत् संशोधन किया जाता है–

1. प्रत्येक खण्ड कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी के मध्य टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत व्यक्तियों के आनलाइन ट्रांसफर का विकल्प पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगा, किन्तु डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर से खण्ड में पंजीकृत व्यक्तियों को एक–दूसरे की लॉग–इन आई0डी0 पर खण्ड में तैनात प्रत्येक अधिकारी की टर्नओवर आधारित मॉनीटरिंग लिमिट के अनुरूप आनलाइन ट्रांसफर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक ही किया जा सकेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून के पश्चात इस श्रेणी के अवशेष मामले कारण

सहित संबंधित खण्ड के प्रभारी डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर द्वारा संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रेषित किए जायेंगे।

2. अधीनस्थ खण्ड कार्यालयों से प्राप्त मामलों पर जोनल एडीशनल कमिश्नर के स्तर पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाएगा तथा किसी अधीनस्थ अधिकारी की शिथिलता के कारण कोई प्रकरण लम्बित होना पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

3. किसी वित्तीय वर्ष में 30 जून के उपरान्त किसी खण्ड कार्यालय में तैनात किसी अधिकारी की लॉग–इन आई0डी0 से दूसरे अधिकारी की लॉग–इन आई0डी0 पर पंजीकृत व्यक्तियों के आनलाइन ट्रांसफर की कार्यवाही संबंधित जोन के जोनल एडीशनल कमिश्नर की लॉग–इन आई0डी0 से संभव हो सकेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सभी लम्बित प्रकरण प्रत्येक दशा में संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर की लॉग–इन आई0डी0 से दिनांक 28 फरवरी तक निस्तारित कर लिए जाएं।

कृपया उक्त निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का क़ष्ट करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।